न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 02/20

अपीलान्ट

1. जगदीश नेहरा पुत्र गिरधारीराम
   जाति जाट निवासी नेहरों का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत मंगले की बेरी जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. ग्राम पंचायत नेहरों का वास जरिये सरपंच
3. मुकना वल्द बांका
4. रूगनाथ वल्द उदा
5. कोहला वल्द उदा
6. ताजा वल्द जगरूपा
7. अणदा वल्द जगरूपा फौत के कायम मुकाम :–
   7/1 रावताराम वल्द अणदाराम
   7/2 वालाराम वल्द अणदाराम
   7/3 भारथाराम वल्द अणदाराम
   7/4 नारणाराम वल्द अणदाराम
   7/5 पारूदेवी पत्नी अणदाराम
8. पदमा वल्द जगरूपा फौत के कायम मुकाम :–
   8/1 खेता वल्द रावताराम
   8/2 सूजाराम वल्द रावताराम
   8/3 मानाराम वल्द रावताराम
   8/4 लाछीदेवी पत्नी रावताराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 8/3 नाबालिग की कुदरती वली माता रेस्पोडेन्ट संख्या 8/4)
   8/5 भेराराम पुत्र पदमाराम
   8/6 हीरोदेवी पत्नी पदमाराम
   8/7 केसाराम वल्द पदमाराम
9. वीरा वल्द जगरूपा फौत के कायम मुकाम :–
   9/1 मूलाराम वल्द वीराराम
   9/2 चतरूदेवी पत्नी वीराराम
10. कालूराम वल्द दुर्गाराम
11. गवरी पत्नी दुर्गाराम
12. हरजीराम वल्द गिरधारीराम
13. अर्जन वल्द गिरधारीराम
14. सायबी पत्नी गिरधारीराम
15. मोहन वल्द समेला
16. हीरों पत्नी समेलाराम
17. केहना वल्द सुखा फौत के कायम मुकाम :–
    17/1 रूखमणराम वल्द केहनाराम
    17/2 भंवराराम वल्द केहनाराम
    17/3 मूलाराम वल्द केहनाराम
    17/4 प्रभुराम वल्द केहनाराम
    जाति जाट निवासी नेहरों का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:52 IST
Reason: SelfAttested

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत मंगले की बेरी ग्राम रावली नाडी वर्तमान ग्राम नेहरों का वास के नामान्तरकरण संख्या 97 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध</u>

उपस्थित :–

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.08.21

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता गिरधारीराम वल्द सगेलाराम के नाम से खातेदारी की भूमि ग्राम रावलीनाडी वर्तमान ग्राम नेहरों का वास में खेत खसरा नम्बर 189 व खसरा नम्बर 529/109 एवं खसरा नम्बर 164, 188, 190 की आई हुई थी। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गावास होने से का फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 97 राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलान्ट का नाम जगदीश नेहरा के स्थान पर जगमाल गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का सही नाम जगदीश नेहरा है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलती से जगदीश नेहरा वल्द गिरधारीराम के स्थान पर जगमाल वल्द गिरधारी लिख दिया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दायर किये गये नामान्तरकरण को हू–ब–हू अपीलान्ट को बगैर सुने स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम पंचायत मंगले की बेरी के स्वीकृत आदेश में अपीलान्ट का नाम जगमाल वल्द गिरधारी के स्थान पर सही नाम जगदीश नेहरा वल्द गिरधारीराम स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कराने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होने से पेश की गई।

अपील दिनांक 18.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 17 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 173 दिनांक 29.01.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जगदीश नेहरा पुत्र गिरधारीराम का राजस्व रेकर्ड में ग्राम नेहरों का वास के खसरा नम्बर 164, 188, 189, 190, 529/109 में जगमालराम वल्द गिरधारीराम नाम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक रेकर्ड आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व मूल निवास में नाम जगदीश नेहरा पुत्र गिरधारीराम दर्ज है जो सही है। नामान्तरण संख्या 97 में जगमाल की जगह जगदीश नेहरा पुत्र गिरधारीराम किया जाना उचित है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। समस्त रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अपील विलम्ब से पेश करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम रावली नाडी वर्तमान ग्राम नेहरों का वास के खसरा नम्बर 189 व खसरा नम्बर 529/109 एवं खसरा नम्बर 164, 188, 190 में अपीलाण्ट का नाम "जगमाल वल्द गिरधारी" के स्थान पर सही नाम "जगदीश नेहरा वल्द गिरधारीराम" दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक ...16.8.21... को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:52 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी